

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक: एफ 3(1)(50)/आजभूसं/लेखा/सी.ए.ऑडिट/2018-19/

दिनांक: 30/07/2019

16493-530

अधीक्षण अभियंता (भू-संसाधन),  
एवं पदेन परियोजना प्रबंधक,  
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,  
जिला परिषद समस्त।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 की IWMP/PMKSY Watershed (Component) एवं (other intervention), PDMC, योजनानर्गत स्वीकृत परियोजना एवं संस्थागत मद की CA Audit Report तैयार करवाकर भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय का पत्र क्रमांक 14474-505 दिनांक 11.03.2019 एवं 16345-77 दिनांक 23.07.2019।

विषयाप्तगत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आयुक्तालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की PMKSY योजनाओं की बैचवार एवं समेकित CA Audit Report दिनांक 15.07.19 तक आयुक्तालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, किन्तु उक्त CA Audit Report आदिनांक तक अप्राप्त हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त CA Audit Report एवं आयुक्तालय के पत्रांक F18(219)/WDSC/IWMP/2019-20/4904-4936 दिनांक 13.06.19 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चाही गई सूचना तैयार कर निम्न समय सारणी में निर्धारित तिथि के अनुसार आपके कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी या लेखा संवर्ग का कार्य देखने वाले कार्मिक को आयुक्तालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावें।

क्र.सं.	दिनांक	जिला
1	05.08.2019	अजमेर, भरतपुर, बांरा, दौसा, सवाई माधोपुर, राजसमन्द, उदयपुर।
2	06.08.2019	अलवर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, नागौर, करौली, कोटा।
3	07.08.2019	बांसवाडा, बून्दी, जोधपुर, झुंझुनू, जालौर, जैसलमेर।
4	08.08.2019	बीकानेर, भीलवाडा, झालावाड, प्रतापगढ, हनुमानगढ, डूंगरपुर।
5	09.08.2019	चित्तौडगढ, चुरू, जयपुर, टोंक, सीकर, धौलपुर।

(आर एल.परसोया)  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक: एफ 3(1)(50)/आजभूसं/लेखा/सी.ए.ऑडिट/2018-19/16493-530 दिनांक: 30/07/19  
प्रतिनिधि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/आई.डब्ल्यू.एम.पी. मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।
4. उप निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) मुख्यालय जयपुर।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को समस्त जिलों को ई-मेल तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

लेखाधिकारी